

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद  
(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :- 68/2019 GCMS NO 2019/00160  
दायर दिनांक :- 23/12/2019  
निर्णय दिनांक :- 08/09/2020

अनवान

श्री अर्जुन लाल पिता रामनिवास मीणा निवासी 1242, मीणों का मोहल्ला वार्ड नम्बर 18, फागी, जयपुर जिला जयपुर

—अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ, जिला राजसमन्द

— रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भु राजस्व अधिनियम अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार देवगढ, जिला राजसमन्द नामान्तकरण संख्या 948 तारीख 28.12.2018

उपस्थित :-

- 1—श्री गिरीश चन्द्र पुरोहित, अधिवक्ता अपीलान्ट
- 2—श्री कैलाश बोल्या, राजकीय अधिवक्ता

—:: निर्णय ::—

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में निवेदन किया गया है कि राजस्व ग्राम घाटी पटवार हल्का आंजणा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द में स्थित कृषि भूमि आराजी नं 757/172 रकबा 5.00 बीघा भूमि किस्म पडत गा श्री बाबु,मोहन, सोहन, जमर्नी पिता रत्तु जी भील व केसी पिता नारु भील निवासी घाटी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज थी। उक्त भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार देने का आदेश दिनांक 27.02.2018 को रिव्यू करने से गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकारों को निरस्त करते हुए पुनः भूमि गैर खातेदारी हक से दर्ज करने सम्बन्धित नामान्तकरण संख्या 948 दिनांक 28.12.2018 से पिडित होकर यह अपील पेश की है। प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है। धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं थी। जानकारी होते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रवीकार किया जाकर उक्त अवधि को कन्डोन फरमाया जाकर अपील की अवधि में शुमार किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

ck



अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की मियाद के बिन्दू पर बहस सुनी । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार किया जाता है ।

अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि राजस्व ग्राम कलालों की आंती पटवार हल्का लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द में स्थित कृषि भूमि भूमि आराजी नं 757/172 रकबा 5.00 बीघा भूमि किस्म पडत III श्री बाबु,मोहन, सोहन, जमनी पिता रत्तु जी भील व केसी पिता नारु भील निवासी घाटी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज थी। श्री बाबु,मोहन, सोहन, जमनी पिता रत्तु जी भील व केसी पिता नारु भील ने अपने गैर खातेदारी में दर्ज भूमि आराजी नम्बर 757/172 रकबा 5.00 बीघा भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी से रिपोर्ट मंगवाई गई जिसे भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जाँच करके तहसील देवगढ भिजवाया गया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बाबु,मोहन, सोहन, जमनी पिता रत्तु जी भील व केसी पिता नारु भील के नाम पर गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार देने का आदेश दिनांक 27.02.2018 को दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में श्री बाबु,मोहन, सोहन, जमनी पिता रत्तु जी भील व केसी पिता नारु भील निवासी घाटी को खातेदारी में अमलदरामद किया गया और नामान्तकरण संख्या 897 दिनांक 22.03.2018 को स्वीकृत किया गया। श्री बाबु,मोहन, सोहन, जमनी पिता रत्तु जी भील व केसी पिता नारु भील निवासी घाटी ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा आ. न. 757/172 रकबा 5.00 बीघा भूमि अपीलांट को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा बेचान कर दिया गया, जिसका प्रभावित नामान्तकरण सं. 899 दिनांक अंकित नहीं करते हुए स्वीकृत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना विधिवत रूप से सूचना दिये एक सूचना पत्र श्री बाबु,मोहन, सोहन, जमनी पिता रत्तु जी भील व केसी पिता नारु भील निवासी घाटी को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार देने का जो आदेश दिया गया उसे रिव्यु करने बाबत दिनांक 28.10.2018 को दिया जिसमें सुनवाई की तारीख दिनांक 06.11.2018 नियत की गई। तहसीलदार देवगढ द्वारा दिनांक 28.10.2018 को तहसीलदार देवगढ ने एक सूचना पत्र श्री बाबु,मोहन, सोहन, जमनी पिता रत्तु जी भील व केसी पिता नारु भील निवासी घाटी को दिया वह गलत है। श्री बाबु,मोहन, सोहन, जमनी पिता रत्तु जी भील व केसी पिता नारु भील निवासी घाटी ने आराजी संख्या 757/172 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से अपीलान्ट को विक्रय कर दी थी जिसका प्रभावित नामान्तरण संख्या 899 दिनांक अंकित नहीं करते हुए स्वीकृत किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलांट को सूचना पत्र दिया जाना न्यायोचित था क्योंकि अपीलान्ट इस आराजी भूमि का खातेदार था और इस भूमि से सम्बन्धित समस्त खातेदारी अधिकार मुझ अपीलान्ट में निहित थे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एग्रीवपार्टी अपीलांट को सूचित किये बिना आराजी संख्या 757/172 का नामान्तकरण संख्या 948 दिनांक 28.12.2018 को श्री अर्जुन लाल के बजाय पुनः श्री बाबु,मोहन, सोहन, जमनी पिता रत्तु जी भील व केसी

Ch



पिता नारु भील के नाम पर गैरखातेदारी से जो आदेश दिया है । वह अल्ट्रावायरस होकर काबिल खारीज है। तहसीलदार देवगढ़ ने बिना आधार के मात्र लोगो की शिकायत को आधार बना कर तथा राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में हुये प्रकाशन तथा ब्लॉक कॉंग्रेस कमेटी की शिकायत को आधार मानकर पूर्व में पटवारी रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक की जाँच पर दिये खातेदारी अधिकार को निरस्त करने में गम्भीर त्रुटि की है। तहसीलदार को स्वयं के आदेश को रिब्यू करने का भी कोई आधार नहीं है। अपीलार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये ।

1. 2010 एलसीआई पेज 526
2. सुभाष चन्द्र बनाम राजस्थान राज्य आदेश दिनांक 08.08.2011
3. आरआरटी 2011 पेज नम्बर 408
4. आरएलडब्ल्यू 2005 पेज 131
5. आरएलडब्ल्यू 2003 पेज 509
6. आरआरडी 2018 पेज 395
7. डीएनजे 2013 पेज 171
8. आरआरटी 2012 पेज 622
9. आरआरटी 2014 पेज 1220
10. आरआरटी 2007 पेज 125
11. डीएनजे 2018 पेज 1422

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस उक्तानुसार दृष्टान्त पेश करते हुये निवेदन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश काबिल निरस्त है, नामान्तरण संख्या 948 दिनांक 28.12.2018 निरस्त किया जाकर पुनःभूमि अपीलाण्ट के नाम दर्ज फरमाई जावे।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन, विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली में तहसीलदार द्वारा गैरखातेदार को खातेदारी अधिकार देने की मूल पत्रावली एवं उसमें संलग्न हल्का पटवारी एवं गिरदावर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा खातेदारी अधिकार निरस्त करने की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रमाणित है कि तहसीलदार, देवगढ़ द्वारा अपने अधिनस्थ राजस्व कार्मिकों – गिरदावर एवं पटवारी की जाँच रिपोर्ट के उपरान्त खातेदारी अधिकार देने का निर्णय लेकर गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। जिसका राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने के तत्पश्चात इस आराजी के खातेदार द्वारा अपीलान्ट श्री अर्जुन सिंह को बेचान किया जिसका प्रभावित नामान्तरण संख्या 899 दिनांक अंकित किए बिना स्वीकृत किया गया। जिसका भी राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद हुआ है। यहां पर उल्लेखनीय बिन्दु यह है कि इस प्रकरण में आराजी भूमि के सम्बन्ध में गैरखातेदार से खातेदारी अधिकार देकर राजस्व रेकार्ड में अंकन करने वाले राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी भी वहीं है जिन्होंने खातेदार के द्वारा अपीलाण्ट को बेचान करने के पश्चात उसके द्वारा बेचान एवं खातेदारी अधिकारों का अंकन, प्रमाणन एवं स्वीकृत किया है। इस प्रकार गैरखातेदार को खातेदारी अधिकार दिये जाने एवं उसमें राजस्व रेकार्ड में अंकन करने तक किसी प्रकार का संशय, भ्रम एवं विधि की अवहेलना करना प्रकट

Ch



नहीं होती है। यहां तक विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाई गई है। जिस पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं है।

परन्तु इन्ही प्रकरणों में समाचार पत्रों एवं अन्य संचार माध्यमों से शिकायत का जब तहसीलदार देवगढ को ज्ञान होता है तब उसके द्वारा जो कार्यावाही अपनाई गई है जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है। इसके अवलोकन एवं उभयपक्ष को सुनने एवं उनकी लिखित बहस का अवलोकन के उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार देवगढ द्वारा आनन फानन में कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। तथा इस पत्रावली में उस व्यक्ति को समन जारी किये गये हैं जो मूलतः गैरखातेदार था और जिसे खातेदारी अधिकार तहसीलदार द्वारा दिये जाने पर उसके द्वारा अपनी इस खातेदारी भूमि का बेचान अपीलान्ट श्री अर्जुन सिंह को कर दिया गया था। इस प्रकार यहां पर महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि— तहसीलदार देवगढ द्वारा सम्मन जारी करते समय राजस्व रेकार्ड में यह आराजी अपीलान्ट श्री अर्जुन सिंह के नाम खातेदारी हो चुकी थी, जिसे न तो नोटिस दिया गया और न ही अन्य किसी माध्यम से उसे सूचित किया गया। न्याय हित में विधि अनुसार उसे सुना जाना चाहिए था, जबकि अपीलार्थी को उक्त मामले में नहीं सुना गया। इस प्रकार अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बगैर पारित आदेश न केवल विधि के विपरीत होता है। बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

यहां पर एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मूल गैरखातेदार द्वारा पहले खातेदारी अधिकार प्राप्त किये गये उसके पश्चात अपनी इस खातेदारी भूमि को उसके द्वारा अपीलान्ट को जरिये रजिस्ट्री/पंजीबद्ध बेचान किया गया। तथा इस कृषि भूमि का बेचान कर उसका प्रतिफल प्राप्त किया गया। इस प्रकार इस आराजी भूमि में अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार सृजित हुए जबकि मूल गैरखातेदार के अधिकार समाप्त हो गए। इसके उपरान्त भी तहसीलदार देवगढ द्वारा उसी मूल गैरखातेदार को, जिसने अपनी खातेदारी भूमि का मूल्य प्राप्त कर बेचान कर दिया उसे पुनः गैरखातेदारी अधिकार देना विधि की अवहेलना एवं घोर लापरवाही प्रकट होती है। यहां पर यह विवेचन करना भी उचित होगा कि अगर तहसीलदार देवगढ को किसी माध्यम से अपने द्वारा गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये जाने हेतु अपनाई गई प्रक्रिया पर संदेह होता तो उन्हें इस सम्बन्ध में उच्चतर राजस्व न्यायालय में अपील/निगरानी पेश करनी चाहिए थी। क्योंकि किसी खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त करना, इस प्रकरण में तहसीलदार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यहां पर यह भी उल्लेख किया जाना न्यायोचित होगा इस प्रकरण में गैरखातेदारी को खातेदारी अधिकार दिये जाने से पहले हल्का पटवारी एवं सम्बन्धित गिरदावर से रिपोर्ट ली गई तथा तहसीलदार द्वारा जाँच कर सन्तुष्टी होने के उपरान्त खातेदारी अधिकार देने का निर्णय पारित किया गया है। जिसकी पालना में राजस्व रेकार्ड में खातेदारी अधिकार का अंकन किया गया है। उसके पश्चात खातेदार द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार या अन्य किसी कारण से अपनी कृषि भूमि का उचित मूल्य/प्रतिफल राशि प्राप्त कर पंजीबद्ध बेचान किया गया है। इस प्रकार इस आराजी में तहसीलदार देवगढ द्वारा उसी मूल गैरखातेदार को आनन फानन में, बिना किसी विधिक कारण के, बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये सम्मन जारी करके उसी के पक्ष में पुनः गैरखातेदारी दर्ज कर उसे दोहरा लाभ दिया गया। क्योंकि प्रथम लाभ— गैरखातेदारी से

CK



खातेदारी अधिकार प्राप्त कर भूमि को बेचान कर प्रतिफल प्राप्त कर लिया गया । दूसरा लाभ- मूल गैरखातेदार को पुनः गैरखातेदारी अधिकार दे दिया गया । उक्तानुसार समस्त प्रक्रिया विधि विरुद्ध एवं आरम्भ से शून्य होने के कारण तहसीलदार देवगढ़ का आदेश दिनांक 16.11.2018 आरम्भ से ही निष्प्रभावी है । यहां पर यह भी विवेचना का विषय है कि राजस्व रेकार्ड में किसी भी परिवर्तन के लिए किसी विधिक आधार अथवा विधिक कारण कि आवश्यकता होती है । अर्थात् बिना किसी विधिक आधार एवं विधिक कारण के राजस्व रेकार्ड में किसी के खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है । चूंकि तहसीलदार देवगढ़ द्वारा बिना किसी विधिक प्रावधान एवं बिना किसी विधिक कारण के ही दिनांक 28.12.2018 को नामान्तरण संख्या 948 स्वीकृत करके अपीलान्त के खातेदारी अधिकार समाप्त करके मूलः गैरखातेदार के नाम पुनः गैरखातेदारी अधिकार दर्ज किये गये है, जो कि विधि का घोर उल्लंघन है । क्योंकि अपीलान्त इस भूमि का खातेदार हैं । तथा नामान्तरण संख्या 897 के द्वारा राजस्व रेकार्ड में इसके खातेदारी अधिकारों का अंकन है, जिसे बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रावधान के तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलान्त के खातेदारी अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है । अतः तहसीलदार देवगढ़ द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 948 दिनांक 28.12.2018 को भी अपास्त किये जाने योग्य है ।

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.11.2018 आरम्भ से ही विधि विरुद्ध एवं शून्य होने के कारण उसके द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 948 दिनांक 28.12.2018 विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश की प्रति के साथ पालनार्थ लौटायी जावे ।

(राकेश कुमार)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 08.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राकेश कुमार)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
राजसमन्द

